संख्या-41/2026/I/1266402/2026/71-1002(099)/7/2014

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 04.06.2025 द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उपकरणों के क्रय अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपकरण क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2025-26/1112, दिनांक 06.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश दिनांक 04.06.2025 द्वारा फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी उपकरणों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 33.49 लाख के स्थान पर प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज द्वारा प्रेषित किये गये संशोधित प्रस्ताव/आगणन धनराशि रू0 32.99 लाख के फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया हैं।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-109/2025/I/981549/2025/71-1002(099)/7/2024 पार्ट-2, दिनांक 04.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु रू0 33.49 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थानों में फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 33.49 लाख के सापेक्ष आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 06.02.2025 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार शासनादेश दिनांक 04.06.2025 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 33.49 लाख के सापेक्ष रू0 32.99 लाख के फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी के उपकरणों के क्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

4- शासनादेश संख्या-109/2025/I/981549/2025/71-1002(099)/7/2024 पार्ट-2, दिनांक 04.06.2025 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।